न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 937 सन 2020

अनवान :–

1. सुजीत भाम्भू पुत्र कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्णचन्द्र पुत्र लक्ष्मीरानायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. रूद्रप्रतापसिह पुत्र सुंजीत भाम्भु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता प्रियंका पत्नी सुजीत भाम्भू जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 15/13 की कुल 1.7710हैक व रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 की कुल 3.4862 हैक एवं रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 19/18 की कुल 5.0600हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 15/13 की कुल 1.7710हैक व रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 की कुल 3.4862 हैक एवं रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 19/18 की कुल 5.0600हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 15/13 की कुल 1.7710हैक व रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 की कुल 3.4862 हैक एवं रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 19/18 की कुल 5.0600हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के नाम से दर्ज है वादी के दादा लक्ष्मीनारायण वल्द बीरबल के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 15/13 की कुल 1.7710हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 के प0न0 386/441(29) के किला न0 19/0.2400 , 21/2 की 0.0460 गैर मुमकिन , 21/3 की कुल 0.1840हैक , 22/0.2530, कुल 0.6770हैक गै.मु.रास्ता 0.0460हैक भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 के प0न0 385/441(28) किला न0 22/4 से 25/5 की कुल 0.1468 हैक भूमि रास्ता 0.5582हैक नहरी भूमि व प0न0 385/442(41) के किला न0 3/1 से 8/2 व 14/1 से 16/3 की कुल 1.4512हैक नहरी व 0.1010हैक गै0मु0 खाला प0न0 386/442(40) के किला न0 1/1 से 2/2 कुल 0.0500हैक गै0मु0 खाला एवं 0.4560हैक नहरी भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 19/18 की कुल 5.0600हैक में से 77/100 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुजीत भाम्भू पुत्र कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्णचन्द्र पुत्र लक्ष्मीरानायण जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. रूद्रप्रतापसिह पुत्र सुंजीत भाम्भु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता प्रियंका पत्नी सुजीत भाम्भू जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 937 सन 2020 निर्णय दिनांक– 09/07/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 15/13 की कुल 1.7710हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 के प0न0 386/441(29) के किला न0 19/0.2400 , 21/2 की 0.0460 गैर मुमकिन , 21/3 की कुल 0.1840हैक , 22/0.2530, कुल 0.6770हैक गै.मु. रास्ता 0.0460हैक भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 188/168 के प0न0 385/441(28) किला न0 22/4 से 25/5 की कुल 0.1468 हैक भूमि रास्ता 0.5582हैक नहरी भूमि व प0न0 385/442(41) के किला न0 3/1 से 8/2 व 14/1 से 16/3 की कुल 1.4512हैक नहरी व 0.1010हैक गै0मु0 खाला प0न0 386/442(40) के किला न0 1/1 से 2/2 कुल 0.0500हैक गै0मु0 खाला एवं 0.4560हैक नहरी भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 19/18 की कुल 5.0600हैक में से 77/100 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर